न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 07/2012

प्रार्थी–	*बनाम*	**अप्रार्थीगण–**
भूपतराज पुत्र दौलतराम जाति ओसवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर		1. ग्राम पंचायत जसोल 2. ओमप्रकाश पुत्र जसराज 3. प्रवीण कुमार पुत्र जसराज जाति ओसवाल निवासी चौपड़ों का वास जसोल, तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध आदेश दिनांक 07.10.1997 जो ग्राम पंचायत जसोल द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री पवन सिंहल, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री पुरूषोतम सोलंकी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 22.02.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत जसोल द्वारा जारी प्रमाण–पत्र दिनांक 07.10.1997 के विरूद्ध दिनांक 26.09.2012 को प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता जसराज को ... द्वारा दिनांक 27.08.1997 को सरपंच, ग्राम पंचायत जसोल के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर चारदिवारी वाला प्लॉट नंबर 1207 जो रजिस्टर में गलत नाम से होने से उसे सुधार कर सबूत देखकर सही नाम दर्ज करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 18:01:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राज.)

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

ग्राम पंचायत जसोल ने प्रार्थी जसराज के प्रार्थना–पत्र पर जांच उपरान्त भवन कर मांग रजिस्टर वर्ष 1997–98 के क्रम संख्या 1207 पर प्रार्थी द्वारा दिये गये सबूतों के अनुसार संशोधन कर जसराज पुत्र दौलतराम कोठारी ओसवाल जसोल का नाम दर्ज किया तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र दिनांक 07.10.1997 जारी किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रमाण–पत्र की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी सं. 2 व 3 के अधिवक्ता को सुना गया।

4. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि ग्राम जसोल में प्रार्थी के पिता स्वर्गीय दौलतराम के स्वामित्व का भूखण्ड संख्या 1207 जिसका क्षेत्रफल 6400.75 वर्गफीट का अवस्थित है। उक्त भूखण्ड के स्वामी दौलतराज के फौत होने पर उनके विधिक वारिस के रूप में प्रार्थी भुपतराज व रूपराज एवं लक्ष्मणराज का स्वामित्व है। ग्राम पंचायत के रेकर्ड में भवन कर रजिस्टर वर्ष 1997–98 में क्रमांक 1207 पर इसी अनुसार प्रार्थी का नाम दर्ज था लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 से 3 के प्रार्थना–पत्र पर उक्त प्लॉट स्वर्गीय जसराज जी के नाम संशोधन कर अंकित किया जिसका प्रमाण–पत्र दिनांक 07.10.1997 जारी किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त प्रमाण–पत्र जारी करने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा की गई कार्यवाही अनियमित रूप से एकपक्षीय होने से अवैध है जो निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 18:01:31 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि जसराज जी बादरमल के गोद गये यह तथ्य निर्विवाद एवं अकाट्य है। इसके पश्चात

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राज.)

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

उन्हें दौलतराम जी की सम्पत्ति पर अपना हक क्लेम करने का कोई अधिकार नहीं था। इस आधार पर जसराज जी के प्रार्थना–पत्र पर भवन कर रजिस्टर में किया गया परिवर्तन एवं जारी प्रमाण–पत्र अवैध है। प्रार्थी को इस कार्यवाही की जानकारी मिलने पर तत्काल यह निगरानी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूखण्ड के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा विधिविरूद्ध तरीके से किये गये इन्द्राज व जारी प्रमाण–पत्र को निरस्त करने के आदेश फरमावें।

6. अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि विवादित भूखण्ड जसराज पुत्र दौलतराम के स्वामित्व का था जिनका स्वर्गवास दिनांक 10.02.2008 को हो जाने पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के आधिपत्य में चला आ रहा है। विवादित भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता के स्वामित्व और कब्जाशुदा होने के कारण ही ग्राम पंचायत जसोल द्वारा उन्हें इस बाबत भूखण्ड के बाहर आम रास्ते पर कचरा न डालने हेतु नोटिस इत्यादि दिये गये जिस पर उक्त भूखण्ड के बाहर हदबंदी में खड़ी चीणें हटाकर बाउण्ड्री वॉल बनाई गई। स्वर्गीय जसराज जी ने अपने जीवनकाल में उक्त भूखण्ड का किरायानामा दिनांक 25.07.1968 को राणमल पुत्र खीमराज ओसवाल निवासी जसोल को, किरायानाम दिनांक 11.09.1978 खीमा पुत्र गिरधारी राणाराजपूत एवं धनिया पुत्र सबेला जाति रबारी निवासी जसोल को तथा किरायानामा दिनांक 04.10.1997 बाबूलाल पुत्र जसराज ओसवाल संखलेचा निवासी जसोल को मालिक की हैसियत से किराये पर दिया गया। स्वर्गीय दौलतराम के पुत्र जसराज, रूपराज व प्रार्थी भूपतराज एवं लक्ष्मणराज के मध्य एकल स्वामित्व की निजी संपत्तियों एवं पक्षकारान के स्वामित्व की संयुक्त संपत्तियों के बारे में पारिवारिक समझौते के पश्चात दिनांक 19.07.1977 को एक फारगती लिखत का निष्पादन हुआ जिसमें उक्त भूखण्ड जसराज कोठारी का होना लिखा है। इस फारगती लिखत पर प्रार्थी सहित सभी चार भाइयों के हस्ताक्षर हैं एवं प्रार्थी अपने हस्ताक्षर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 18:01:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

निष्पादित दस्तावेज से पाबंद है। ग्राम पंचायत जसोल ने उक्त भूखण्ड के मालिक जसराज से उक्त भूखण्ड बाबत वर्ष 1998–99 से 2002–03 का भवन कर रसीद संख्या 2 / 132 दिनांक 18.09.2003 के जरिये व वर्ष 2003–04 से 2008–09 का भवन कर रसीद संख्या 9 / 854 दिनांक 10.06. 2009 के जरिये प्राप्त किया। अप्रार्थी सं. 2 व 3 के पिता जसराज के पिता दौलतराम ने अपने जीवनकाल में या कभी न्याति के रीति रिवाज के अनुसार अथवा अन्य किसी भी प्रकार से जसराज को कभी भी बादरमल को गोद नहीं दिया था। अप्रार्थी सं. 2 व 3 के पिता जसराज स्व0 बादरमल के गोद नहीं होने से उन्होने न तो बादरमल की किसी भी प्रकार की सम्पत्ति प्राप्त की और न उन्हे प्राप्त हुई हैं। उक्त विवादित भूमि जसराज के पुत्र एवं अप्रार्थी सं. 2 व 3 के भाई महेन्द्र कुमार के नाम से दर्ज थी जिसको गलत एवं अवैध ढंग से प्रार्थी ने अपने नाम से रेकर्ड में ऊपर लाईन फिरवाकर अपने नाम से अंकित करवाया, जिसका ज्ञान स्वर्गीय जसराज को होने पर उन्होने दिनांक 27.08.1997 को ग्राम पंचायत को इस भूखण्ड के स्वामित्व के दस्तावेजों के साथ नाम दुरूस्त करने हेतु आवेदन किया जिस पर ग्राम पंचायत जसोल ने नियमानुसार कार्यवाही कर जसराज द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों के आधार पर रेकर्ड में संशोधन कर पूर्व अनुसार उनका नाम पुनः दर्ज किया तथा इस बाबत प्रमाण–पत्र दिनांक 07.10.1997 को जारी किया गया हैं। इस स्वामित्व प्रमाण–पत्र में किसी प्रकार की कोई अवैधता, अनियमितता अथवा अपूर्णता नहीं हैं जिसके विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं जो मय खर्चा खारिज फरमाई जावें।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभयपक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी सं. 01 द्वारा पंचायतीराज विभाग के परिपत्र दिनांक 19.04.2017 के प्रतिकूल आलौच्य प्रमाण–पत्र जारी किया गया हैं। इस परिपत्र की ओर ध्यान आकृष्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 18:01:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

कराया जिसमें ग्राम पंचायतों के द्वारा किसी भी प्रकार के स्वामीत्व व अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी नहीं करने की एडवायजरी जारी की गई है। इस संबंध में अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 व 3 का कथन हैं कि उक्त परिपत्र मात्र एडवायजरी हैं तथा नियमों में किसी प्रकार से बाध्यकारी प्रावधान नहीं किया गया हैं, इसके बावजूद भी उक्त परिपत्र वर्ष 2017 में जारी किया गया हैं जबकि आलौच्य प्रमाण–पत्र वर्ष 1997 में जारी किया गया हैं जिस पर उक्त परिपत्र का भूतलक्षी प्रभाव नहीं हो सकता हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी ने यह भी प्रकट किया कि उक्त प्रमाण–पत्र स्वामित्व का न होकर ग्राम पंचायत के गृह कर रजिस्टर में हुई त्रुटि को अप्रार्थीगण के पिता जसराज के प्रार्थना–पत्र पर शुद्ध किया गया हैं तथा साक्ष्यस्वरूप यह प्रमाण–पत्र जारी किया गया हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी ने यह भी प्रकट किया कि प्रार्थी के अधिवक्ता ने मुख्य रूप से उक्त भूखण्ड पर अपने स्वामित्व के बाबत अभिकथन किये गये हैं तथा स्वामित्व अधिकारों की घोषणा हेतु सिविल न्यायालय द्वारा ही उचित अनुतोष प्रदान करने हेतु सक्षम हैं। प्रार्थी की ओर से उक्त विवादित सम्पत्ति के संबंध में एक सिविल वाद सं. 36 / 2012 व विविध प्रकरण सं. 41 / 2012 भूपतराज बनाम भीमाराम प्रस्तुत किये हैं तो सिविल न्यायाधीश (क0ख0) बालोतरा के न्यायालय में विचाराधीन हैं। इस प्रकार स्वामित्व एवं गोदनामा व उत्तराधिकार के बिन्दुओं का निपटारा सिविल वाद के अन्तर्गत ही किया जा सकेगा। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए आलौच्य प्रमाण–पत्र जारी किया गया है। इसके संबंध में अधिवक्ता अप्रार्थीगण का कथन हैं कि उक्त सम्पत्ति के बाबत [illegible] जसराज को दी गई हैं जिसके साक्ष्यस्वरूप [illegible] 1977 (फारगती) निष्पादित किया गया हैं [illegible] सभी चारों भाईयों के हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार उभय पक्ष की [illegible]र से प्रकट अभिकथनों से यह प्रतीत होता हैं कि विवादित भूखण्ड अप्रार्थीगण के कब्जे एवं अधिपत्य का

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 18:01:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

रहा हैं तथा ग्राम पंचायत के भवन कर रजिस्टर में हुई अशुद्ध प्रविष्टी को अप्रार्थी सं. 2 व 3 के पिता के आवेदन पर शुद्ध कर रेकर्ड का संशोधन मात्र किया गया हैं इसके अलावा किसी प्रकार से स्वामित्व संबंधी घोषणा नहीं की गई हैं। इसके अलावा भी पारिवारिक सम्पत्ति के स्वामित्व व अधिकारों की घोषणा से संबंधित विवाद का निपटारा सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकेगा। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों एवं दस्तावेजों के अनुसार पक्षकारान के मध्य इसी विवादित भूखण्ड को लेकर सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन हैं। ऐसे में निगरानी प्रार्थना–पत्र की सरसरी कार्यवाही में किसी प्रकार के हक–स्वामित्व संबंधी बिन्दु पर निष्कर्ष दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। जहां तक ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण–पत्र का संबंध हैं तो यह रेकर्ड संशोधन की प्रक्रिया हैं न कि नये सिरे से किसी सम्पत्ति के बाबत कोई स्वामित्व का निर्धारण किया गया हैं। ऐसे में आलौच्य प्रमाण–पत्र के संबंध में किसी प्रकार की कोई अनियिमितता अथवा अवैधता साबित करने में अधिवक्ता प्रार्थी विफल रहे हैं। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना–पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राज स्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 18:01:31 IST
Reason: SelfAttested